



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित)

(ISO 9001:2008 Certified)

संदर्भ सं.: सं.1:05:2:(2):I

दिनांक: 03.11.2017

श्रीमती गौरी चौधरी
स्वतंत्र निदेशक, पीएफसी
1/62, डोवर प्लेस,
बल्ल्यगूंगे,
कोलकाता-700019

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति-पत्र

महोदया,

पीएफसी की संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में, दिनांक 3 नवंबर, 2017 से गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल में आपकी नियुक्ति पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह नियुक्ति-पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आपकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करता है। आपकी नियुक्ति शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

1. नियुक्ति:

1.1 पीएफसी के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 सितंबर, 2017 के पत्र सं.20/8/2016-कॉर्ड.(खंड-II) के अनुसार है।

स्वतंत्र निदेशक के अभिप्राय को कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर यथा संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों, निगमित शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों में यथा परिभाषित रूप में माना जाए।

1.2 बोर्ड ने सांविधिक विनियमों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बनाने की सुविधा हेतु बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन भी किया है। समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित की जाने वाली उक्त समितियों या अन्य समिति(यों) में से किसी एक के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में भी आपको शामिल किया जा सकता है। ऐसी समिति(यों) पर आपकी नियुक्ति लागू कानून के अधीन होगी।

2. कार्य, उत्तरदायित्व और कर्तव्य

2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं इसके तहत बनाए गए नियम और समय-समय पर यथा संशोधित लिस्टिंग करार/सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत स्वतंत्र निदेशक के लिए यथा अपेक्षानुसार आपकी

भूमिका, कार्य और कर्तव्य निर्धारित होंगे। आपके सुलभ संदर्भ हेतु कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के साथ पठ्य धारा 149 (8) के तहत जारी स्वतंत्र निदेशक के लिए संहिता की एक प्रति **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार, आप

- i. कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार कार्य करेंगी।
- ii. कंपनी के सदस्यों के लाभ और कंपनी के सर्वोत्तम हित और कंपनी, इसके कार्मिकों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हितों और पर्यावरण की सुरक्षा के इसके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करेंगी।
- iii. समयक और उचित देखभाल, कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी।
- iv. किसी ऐसी स्थिति में खुद को शामिल नहीं करेंगी जिसमें आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि कंपनी के हित के विरुद्ध होती है या संभवतः विरुद्ध हो सकती है।
- v. अपने आप या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों या सहयोगियों को किसी अनुचित लाभ या सुविधा नहीं लेंगी या प्रयास नहीं करेंगी।
- vi. अपने कार्यालय को निदेशक के रूप में निर्धारित नहीं करेंगी और ऐसा कोई भी कार्य शून्य माना जाएगा।

3. पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति

- 3.1 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए लागू कानून के अनुपालन में समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित सिटिंग फीस के माध्यम से आपको इस तरह के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- 3.2 वर्तमान में स्वतंत्र निदेशक के लिए बोर्ड या इसकी किसी समिति की प्रति बैठक में 20,000/- रुपए की सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।
- 3.3 सिटिंग फीस के भुगतान के अलावा, आप लागू वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को यथा लागू समान दरों पर बोर्ड और समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा व्ययों के लिए भी पात्र होंगी।

4. हितों का टकराव:

- 4.1 यह स्वीकारा और मान लिया गया है कि कंपनी के व्यावसायिक हितों से अन्य आपके हित हो सकते हैं। आपकी नियुक्ति की शुरुआत के समय शर्त के तौर पर आपने कंपनी को इस तरह के निदेशक पद-धारण, नियुक्तियों और हितों की घोषणा बोर्ड को कर दी है। इसके बाद, परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन पर आपको घोषणा करनी होगी जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
- 4.2 बोर्ड की पहली बैठक जिसमें आपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया और इसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होने पर, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, आपको एक घोषणा देने की आवश्यकता है कि आप स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

5. निष्कासन:

- 5.1 आप किसी भी समय पद से त्याग-पत्र दे सकती हैं और यदि आप ऐसा चाहती हैं तो आप त्याग-पत्र का कारण बताते हुए विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को तर्कसंगत लिखित नोटिस दें।
- 5.2 स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति को निरंतर जारी रखने के लिए आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है और लागू कानून के अनुसार आपको शेरधारकों द्वारा पुनः नियुक्त किया जा रहा है।

6. गोपनीयता:

- 6.1 एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान हासिल की गई कंपनी के संबंध में सभी जानकारियां गोपनीय हैं और जब तक कानूनन जरूरी न हो, तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा।
- 6.2 निर्देशक के रूप में, आप अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियमों के तहत यथा निर्धारित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रकटीकरण के प्रति निषेध और प्रतिबंध के अधीन हैं। आपको सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित या यथा परिवर्तन) के अनुसार पीएफसी के इनसाइडर द्वारा व्यापार विनियमन एवं रिपोर्टिंग और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आंतरिक आचरण संहिता, 2015 का सख्ती से पालन करना होगा।

7. देयता:

- 7.1 लागू कानून के अधीन, आपके कर्तव्यों के किसी भी उल्लंघन के लिए आप लागू कानून के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगी और कंपनी के संबंध में, आप कंपनी द्वारा उस चूक या भूल के ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगी जो आपके संज्ञान में हुए हैं, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से काम नहीं किया गया हो और आपकी सहमति या सहमति के साथ किया गया हो या जहां आप ने तत्परता से कार्य न किया हो।

हालांकि, कंपनी द्वारा कंपनी के बोर्ड और/या अधिकारी के तौर पर सेवारत उनके विरुद्ध किए गए दावे के लिए निर्देशकों और अधिकारियों के व्यक्तिगत दायित्व हेतु भुगतान करने के लिए एक निदेशकों और अधिकारियों की बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) का अनुरक्षण किया गया है।

8. विविध:

- 8.1 आपकी नियुक्ति भी अधिकतम स्वीकार्य निदेशक पद धारण के अधीन है जो कोई अधिनियम और लिस्टिंग करार के प्रावधानों के अनुसार शामिल लागू कानून के तहत रख सकता है।
- 8.2 आप कंपनी के कार्मिक नहीं होंगी और यह पत्र रोजगार की संविदा का गठन नहीं करेगा।
- 8.3 आप सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा नहीं देंगी: बशर्ते कि यदि आप किसी सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं, तो आपको तीन से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा देनी होगी।

8.4 सभी संस्थाओं में जहां निदेशक हैं, वहाँ आप दस से अधिक समितियों में सदस्य या पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगी, जो निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- (क) समितियों की सीमा जिस पर एक निदेशक सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों में काम कर सकता है, चाहे सूचीबद्ध हों या नहीं, इसमें शामिल हो जाएंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों सहित अन्य सभी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा;
- (ख) केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति की सीमा निर्धारण, अध्यक्षता और सदस्यता के लिए विचार किया जाएगा।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

संलग्न: यथोपरि

SCHEDULE IV

[See section 149(8)]

CODE FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Code is a guide to professional conduct for independent directors. Adherence to these standards by independent directors and fulfilment of their responsibilities in a professional and faithful manner will promote confidence of the investment community, particularly minority shareholders, regulators and companies in the institution of independent directors.

I. Guidelines of professional conduct:

An independent director shall:

- (1) uphold ethical standards of integrity and probity;
- (2) act objectively and constructively while exercising his duties;
- (3) exercise his responsibilities in a *bona fide* manner in the interest of the company;
- (4) devote sufficient time and attention to his professional obligations for informed and balanced decision making;
- (5) not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making;
- (6) not abuse his position to the detriment of the company or its shareholders or for the purpose of gaining direct or indirect personal advantage or advantage for any associated person;
- (7) refrain from any action that would lead to loss of his independence;
- (8) where circumstances arise which make an independent director lose his independence, the independent director must immediately inform the Board accordingly;
- (9) assist the company in implementing the best corporate governance practices.

II. Role and functions:

The independent directors shall:

- (1) help in bringing an independent judgment to bear on the Board's deliberations especially on issues of strategy, performance, risk management, resources, key appointments and standards of conduct;
- (2) bring an objective view in the evaluation of the performance of board and management;
- (3) scrutinise the performance of management in meeting agreed goals and objectives and monitor the reporting of performance;
- (4) satisfy themselves on the integrity of financial information and that financial controls and the systems of risk management are robust and defensible;
- (5) safeguard the interests of all stakeholders, particularly the minority shareholders;
- (6) balance the conflicting interest of the stakeholders;
- (7) determine appropriate levels of remuneration of executive directors, key managerial personnel and senior management and have a prime role in appointing and where necessary recommend removal of executive directors, key managerial personnel and senior management;
- (8) moderate and arbitrate in the interest of the company as a whole, in situations of conflict between management and shareholder's interest.

III. Duties :

The independent directors shall—

- (1) undertake appropriate induction and regularly update and refresh their skills, knowledge and familiarity with the company;
- (2) seek appropriate clarification or amplification of information and, where necessary, take and follow appropriate professional advice and opinion of outside experts at the expense of the company;
- (3) strive to attend all meetings of the Board of Directors and of the Board committees of which he is a member;
- (4) participate constructively and actively in the committees of the Board in which they are chairpersons or members;
- (5) strive to attend the general meetings of the company;
- (6) where they have concerns about the running of the company or a proposed action, ensure that these are addressed by the Board and, to the extent that they are not resolved, insist that their concerns are recorded in the minutes of the Board meeting;
- (7) keep themselves well informed about the company and the external environment in which it operates;
- (8) not to unfairly obstruct the functioning of an otherwise proper Board or committee of the Board;
- (9) pay sufficient attention and ensure that adequate deliberations are held before approving related party transactions and assure themselves that the same are in the interest of the company;
- (10) ascertain and ensure that the company has an adequate and functional vigil mechanism and to ensure that the interests of a person who uses such mechanism are not prejudicially affected on account of such use;
- (11) report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy;
- (12) acting within his authority, assist in protecting the legitimate interests of the company, shareholders and its employees;
- (13) not disclose confidential information, including commercial secrets, technologies, advertising and sales promotion plans, unpublished price sensitive information, unless such disclosure is expressly approved by the Board or required by law.

IV. Manner of appointment:

- (1) Appointment process of independent directors shall be independent of the company management; while selecting independent directors the Board shall ensure that there is appropriate balance of skills, experience and knowledge in the Board so as to enable the Board to discharge its functions and duties effectively.
- (2) The appointment of independent director(s) of the company shall be approved at the meeting of the shareholders.
- (3) The explanatory statement attached to the notice of the meeting for approving the appointment of independent director shall include a statement that in the opinion of the Board, the independent director proposed to be appointed fulfils the conditions specified in the Act and the rules made thereunder and that the proposed director is independent of the management.

- (4) The appointment of independent directors shall be formalised through a letter of appointment, which shall set out :
 - (a) the term of appointment;
 - (b) the expectation of the Board from the appointed director; the Board-level committee(s) in which the director is expected to serve and its tasks;
 - (c) the fiduciary duties that come with such an appointment along with accompanying liabilities;
 - (d) provision for Directors and Officers (D and O) insurance, if any;
 - (e) the Code of Business Ethics that the company expects its directors and employees to follow;
 - (f) the list of actions that a director should not do while functioning as such in the company; and
 - (g) the remuneration, mentioning periodic fees, reimbursement of expenses for participation in the Boards and other meetings and profit related commission, if any.
- (5) The terms and conditions of appointment of independent directors shall be open for inspection at the registered office of the company by any member during normal business hours.
- (6) The terms and conditions of appointment of independent directors shall also be posted on the company's website.

V. Re-appointment:

The re-appointment of independent director shall be on the basis of report of performance evaluation.

VI. Resignation or removal:

- (1) The resignation or removal of an independent director shall be in the same manner as is provided in sections 168 and 169 of the Act.
- (2) An independent director who resigns or is removed from the Board of the company shall be replaced by a new independent director within a period of not more than one hundred and eighty days from the date of such resignation or removal, as the case may be.
- (3) Where the company fulfils the requirement of independent directors in its Board even without filling the vacancy created by such resignation or removal, as the case may be, the requirement of replacement by a new independent director shall not apply.

VII. Separate meetings:

- (1) The independent directors of the company shall hold at least one meeting in a year, without the attendance of non-independent directors and members of management;
- (2) All the independent directors of the company shall strive to be present at such meeting;
- (3) The meeting shall:
 - (a) review the performance of non-independent directors and the Board as a whole;

-
- (b) review the performance of the Chairperson of the company, taking into account the views of executive directors and non-executive directors;
 - (c) assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the company management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

VIII. Evaluation mechanism:

- (1) The performance evaluation of independent directors shall be done by the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated.
- (2) On the basis of the report of performance evaluation, it shall be determined whether to extend or continue the term of appointment of the independent director.